(0100-0110/SM/GG)

खंड 9

माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 87 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, this is one of the major amendments by which the non-Muslims are being inducted in the Waqf Council. So, this amendment may be allowed. It is because non-Muslims … (*Interruptions*)

Sir, I am moving the amendment.

I beg to move:

"Page 6, *omit* lines 20 and 21." (87)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा खंड 9 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 87 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है:

"पृष्ठ 7, पंक्ति 36 और पृष्ठ 8, पंक्ति 1 *का लोप करें।"*

अनेक माननीय सदस्य: नहीं।

कुछ माननीय सदस्य: हां।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I want a division. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : लॉबी ऑलरेडी क्लियर है।

अब मतदान होगा।

… (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : एक सेकेंड रूकिए। अब इसी को दोबारा मतदान के लिए मैं महासचिव को बोलूँगा।

… (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : आप मेरी बात सुनिए।

… (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : आप शांत हो जाइए। कृपया, गौंग की साउंड को सुनिए। कृपया, आप शांत रहिए।

… (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : मैंने पहले ही डायरेक्शन दे रखा है। आप बैठ जाइए।

… (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"पृष्ठ 7, पंक्ति 36 और पृष्ठ 8, पंक्ति 1 *का लोप करें।"*

<u>लोक सभा में मत-विभाजन हुआ :</u>

(0115/MY/RP)

माननीय अध्यक्ष: शुद्धि के अध्यधीन, मत विभाजन का परिणाम यह है :

हाँ : 231

नहीं: 288

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय जी, क्या आप संशोधन संख्या 99 से 103 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I beg to move:

“Page 5, line 47,-

after “Council of States”

insert “, all belonging to Muslim community”.” (99)

“Page 6, *for* line 4,-

substitute “(ii) Chairpersons of four Boards of the States of West Bengal, Kerala, Maharashtra, Tamil Nadu”.” (100)

“Page 6, *for* lines 9 and10,-

substitute “(d) “two persons who have been Judges of Supreme Court belonging to Muslim Community”.” (101)

“Page 6, *for* lines 18 and 19,-

substitute “Provided that two of the members appointed under clause (c) shall be Muslim women”.” (102)

“Page 6, *omit* lines 20 and 21.” (103)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं प्रो. सौगत राय जी द्वारा खंड 9 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 99 से 103 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुये।

माननीय अध्यक्ष: श्री के. राधाकृष्णन जी, क्या आप संशोधन संख्या 124 से 126 को प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI K. RADHAKRISHNAN (ALATHUR): Sir, I beg to move:

“Page 5, line 47,-

after "the Council of States"

insert ", all belonging to Muslim community"." (124)

"Page 6, *for* lines 9 and 10,-

substitute *"(d)* two persons who have been Judges of Supreme Court belonging to Muslim Community"." (125)

"Page 6, *for* lines 18 and 19,-

substitute "Provided that two of the members appointed under clause *(c)* shall be Muslim women"." (126)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री के. राधाकृष्णन जी द्वारा खंड 9 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 124 से 126 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुये।

(0120/VR/CP)

माननीय अध्यक्ष : श्री राजेश रंजन जी, क्या आप संशोधन संख्या 132 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI RAJESH RANJAN (PURNIA): Sir, I beg to move:

"Page 6 *omit* lines 12 to 21." (132)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री राजेश रंजन जी द्वारा खंड 9 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 132 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि खंड 9 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड 11

माननीय अध्यक्ष : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 88 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move:

"Page 7, *omit* lines 9 to 11." (88)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा खंड 11 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 88 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रो. सौगत राय जी, क्या आप संशोधन संख्या 104 और 105 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I beg to move:

“Page 6, line 34,-

after “Member of Parliament”

insert “of House of the People”. ” (104)

“Page 6, for line 36,-

substitute “one Member of the State Legislative Assembly belongs to Muslim Community”.” (105)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं प्रो. सौगत राय जी द्वारा खंड 11 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 104 और 105 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष : श्री के. राधाकृष्णन जी, क्या आप संशोधन संख्या 127 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI K. RADHAKRISHNAN (ALATHUR): Sir, beg to move:

“Page 6, for line 36,-

substitute "(ii) one Member of the State Legislative Assembly belonging to Muslim community".” (127)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री के.राधाकृष्णन जी द्वारा खंड 11 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 127 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि खंड 11 विधेयक का अंग बने।’’

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 12

माननीय अध्यक्ष : श्री अरविंद गणपत सावंत जी, क्या आप संशोधन संख्या 8 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI ARVIND GANPAT SAWANT (MUMBAI SOUTH): Sir, I beg to move:

“Page 7, *omit* lines 44 to 46.” (8)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री अरविंद गणपत सावंत जी द्वारा खंड 12 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 8 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 89 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move:

"Page 7, line 41,-

after "age"

insert "or he is not a Muslim"." (89)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा खंड 12 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 89 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि खंड 12 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 13

माननीय अध्यक्ष : श्री अरविंद गणपत सावंत जी, क्या आप संशोधन संख्या 9 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI ARVIND GANPAT SAWANT (MUMBAI SOUTH): Sir, I beg to move:

"Page 7, line 48,-

for "once in every month"

substitute "once every three months as far as may be practicable"." (9)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री अरविंद गणपत सावंत जी द्वारा खंड 13 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 9 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : श्री इमरान मसूद जी, क्या आप संशोधन संख्या 29 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

श्री इमरान मसूद (सहारनपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 9, पंक्ति 32,

"प्रत्येक मास में कम से कम एक बार" *के स्थान पर*
"प्रत्येक चार मास में कम से कम दो बार" *प्रतिस्थापित करें।* (29)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री इमरान मसूद जी द्वारा खंड 13 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 29 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : श्री के. सी. वेणुगोपाल जी, क्या आप संशोधन संख्या 47 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, I beg to move:

"Page 7, line 48,-

for "at least once in every month"
substitute "once every three months as far as may be practicable"." (47)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री के. सी. वेणुगोपाल जी द्वारा खंड 13 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 47 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : डॉ. मोहम्मद जावेद जी, क्या आप संशोधन संख्या 56 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

DR. MOHAMMAD JAWED (KISHANGANJ): Sir, I beg to move:

"Page 7, line 48,-

for "at least once in every month"
substitute "at least once in three months"." (56)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं डॉ. मोहम्मद जावेद जी द्वारा खंड 13 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 56 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि खंड 13 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 13 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 14 विधेयक में जोड़ दिया गया।

(0125/SNT/NK)

खंड 15

माननीय अध्यक्ष: श्री इमरान मसूद जी, क्या आप संशोधन संख्या 30 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

श्री इमरान मसूद (सहारनपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 10, पंक्ति 1 और 2 *के स्थान पर*,-

"(1) बोर्ड का एक पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा, जो मुस्लिम होगा और राज्य सरकार द्वारा, बोर्ड द्वारा सुझाए गए दो नामों के पैनल में से, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त किया जाएगा और जो राज्य सरकार के उप सचिव के पद से नीचे का नहीं होगा, और उस पद के मुस्लिम अधिकारी की अनुपलब्धता की स्थिति में, समकक्ष पद के मुस्लिम अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी की पदावधि और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाएं।

(3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोर्ड का *पदेन* सचिव होगा और बोर्ड के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होगा।" *प्रतिस्थापित करें।* (30)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री इमरान मसूद जी द्वारा खंड 15 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 30 सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

<u>संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।</u>

माननीय अध्यक्ष: डॉ. मोहम्मद जावेद जी, क्या आप संशोधन संख्या 57 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

DR. MOHAMMAD JAWED (KISHANGANJ): Sir, I beg to move:

"Page 8, line 1,-

after "Chief Executive Officer of the Board"

insert "from the Muslim community"." (57)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं डॉ. मोहम्मद जावेद जी द्वारा खंड 15 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 57 सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

<u>संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।</u>

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 15 विधेयक का अंग बने।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

<u>खंड 15 विधेयक में जोड़ दिया गया।</u>

Motion Re: Suspension of Rule 80 (i)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, प्रस्ताव प्रस्तुत करिए।

SHRI KIREN RIJIJU: I beg to move:

> "That this House do suspend clause (i) of rule 80 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in so far as it requires that an amendment shall be within the scope of the Bill and relevant to the subject matter of the clause to which it relates, in its application to the Government amendment No. 111* to the Waqf (Amendment) Bill, 2025 and that this amendment may be allowed to be moved."

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> " कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका उपबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 की सरकारी संशोधन संख्या 111* को लागू करने के संबंध में निलंबित करे और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

New Clause 15A

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी संशोधन संख्या 111 प्रस्तुत करिए।

Amendment made:

Page 8, *after* line 3,-

insert

Amendment of section 28.	**'15A.** In section 28 of the principal Act, for the words "be responsible for implementation of the decisions of the Board which may be", the words "implement the decision of the Board within forty-five days from the date it is" shall be substituted.'.

(111)

(Shri Kiren Rijiju)

---

* *Vide* Amendments List No. 11 circulated on 2.4.2025

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि नया खंड 15क विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
नया खंड 15क विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 15A

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी संशोधन संख्या 112 प्रस्तुत करिए।

Amendment made:

Page 8, *for* line 4,-

substitute

"15B. In section 30 of the principal Act, in sub-section (2), for the". (112)

(Shri Kiren Rijiju)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 15क, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
खंड 15क, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।
खंड 16 और 17 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 18

माननीय अध्यक्ष: श्री गौरव गगोई जी, क्या आप संशोधन संख्या 19 से 21 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI GAURAV GOGOI (JORHAT): Sir, I beg to move:

"Page 8, line 27,-

after "portal and database,"

insert "and in addition, in such manner and form as provided by regulations of the Board". " (19)

"Page 8, *omit* lines 29 to 49." (20)

"Page 9, *omit* lines 1 to 3." (21)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री गौरव गगोई जी द्वारा खंड 18 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 19 से 21 सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष: श्री इमरान मसूद जी, क्या आप संशोधन संख्या 31 और 32 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

श्री इमरान मसूद (सहारनपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 10, पंक्ति 27 से 32 और पृष्ठ 11, पंक्ति 1 से 9 का *लोप करें।* (31)

पृष्ठ 11, पंक्ति 13 से 15 का *लोप करें।* (32)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री इमरान मसूद जी द्वारा खंड 18 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 31 और 32 सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष: श्री असादुद्दीन ओवैसी जी, क्या आप संशोधन संख्या 66 से 68 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Sir, I beg to move:

"Page 8, line 27,-

after "portal and database"

insert "and in addition, in such manner and form as provided by regulations of the Board"." (66)

"Page 8, *omit* lines 29 to 49." (67)

"Page 9, *omit* lines 1 to 3." (68)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री असादुद्दीन ओवैसी जी द्वारा खंड 18 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 66 से 68 सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय जी, क्या आप संशोधन संख्या 106 और 107 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I beg to move:

"Page 8, *omit* lines 48 and 49." (106)

"Page 9, *omit* lines 1 and 2." (107)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं प्रो. सौगत राय जी द्वारा खंड 18 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 106 और 107 सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष: श्री राजेश रंजन जी, क्या आप संशोधन संख्या 133 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI RAJESH RANJAN (PURNIA): Sir, I beg to move:

“Page 8, line 27,-

after “portal and database,”

insert “and in addition, in such manner and form as provided by regulations of the Board”.” (133)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री राजेश रंजन जी द्वारा खंड 18 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 133 सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि खंड 18 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 18 विधेयक में जोड़ दिया गया।

(0130/SJN/AK)

खंड 19

माननीय अध्यक्ष : श्री अरविंद गणपत सावंत जी, क्या आप संशोधन संख्या 10 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI ARVIND GANPAT SAWANT (MUMBAI SOUTH): Sir, I rise to move:

Page 9, *for* lines 26 to 30,-

Substitute ‘the words “before deciding mutation in the land records, in accordance with revenue laws in force, either make necessary entries in the land record or communicate, within a period of six months from the date of registration of waqf property under section 36, its objections to the Board” shall be substituted’. (10)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री अरविंद गणपत सावंत जी द्वारा खंड 19 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 10 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : श्री के. सी. वेणुगोपाल जी, क्या आप संशोधन संख्या 48 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, I rise to move:

Page 9, *for* lines 26 to 30,-

substitute 'the words "on receipt of the details as mentioned in sub-section (2), the land record office shall before deciding mutation in the land records, in accordance with revenue laws in force, either make necessary entries in the land record or communicate, within a period of six months from the date of registration of waqf property under section 36, its objections to the Board" shall be substituted'. (48)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री के. सी. वेणुगोपाल जी द्वारा खंड 19 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 48 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : डॉ. मोहम्मद जावेद जी, क्या आप संशोधन संख्या 58 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

DR. MOHAMMAD JAWED (KISHANGANJ): Sir, I rise to move:

Page 9, *omit* lines 25 to 30. (58)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं डॉ. मोहम्मद जावेद जी द्वारा खंड 19 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 58 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 19 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 19 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 20 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 21

माननीय अध्यक्ष : श्री अरविंद गणपत सावंत जी, क्या आप संशोधन संख्या 11 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI ARVIND GANPAT SAWANT (MUMBAI SOUTH): Sir, it is a small and technical one. I rise to move:

Page 9, line 34,-

for "October"

substitute "30th of June". (11)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री अरविंद गणपत सावंत जी द्वारा खंड 21 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 11 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : श्री गौरव गोगोई जी, क्या आप संशोधन संख्या 22 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI GAURAV GOGOI (JORHAT): Sir, I rise to move:

Page 9, *omit* lines 35 to 39. (22)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री गौरव गोगोई जी द्वारा खंड 21 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 22 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : श्री इमरान मसूद जी, क्या आप संशोधन संख्या 33 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

श्री इमरान मसूद (सहारनपुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 12, पंक्ति 7 से 11 का *लोप करें।* (33)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री इमरान मसूद जी द्वारा खंड 21 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 33 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : श्री के. सी. वेणुगोपाल जी, क्या आप संशोधन संख्या 49 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, I rise to move:

Page 9, line 34,-

for "October"

substitute "30th of June". (49)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री के. सी. वेणुगोपाल जी द्वारा खंड 21 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 49 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : डॉ. मोहम्मद जावेद जी, क्या आप संशोधन संख्या 59 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

DR. MOHAMMAD JAWED (KISHANGANJ): Sir, I rise to move:

Page 9, line 34,-

for "October"

substitute "June". (59)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं डॉ. मोहम्मद जावेद जी द्वारा खंड 21 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 59 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 21 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 21 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 22

माननीय अध्यक्ष : श्री इमरान मसूद जी, क्या आप संशोधन संख्या 34 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

श्री इमरान मसूद (सहारनपुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 12, पंक्ति 12 से 36 और पृष्ठ 13, पंक्ति 1 से 5 का *लोप करें।* (34)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री इमरान मसूद जी द्वारा खंड 22 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 34 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 90 से 92 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I rise to move:

Page 9, line 43,-

for "one"

substitute "three". (90)

Page 10, line 5,-

for "one"

substitute "three". (91)

Page 10, *omit* lines 8 to 14. (92)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा खंड 22 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 90 से 92 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 22 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 22 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 23 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 24

माननीय अध्यक्ष : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 93 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I am not moving it because it has become infructuous. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 24 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 24 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 24ए विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 25 से 27 विधेयक में जोड़ दिए गए।

(0135/UB/SPS)

खंड 28

माननीय अध्यक्ष: श्री इमरान मसूद जी, क्या आप संशोधन संख्या 35 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

श्री इमरान मसूद (सहारनपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 14, पंक्ति 22 से 35 का *लोप करें।* (35)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री इमरान मसूद जी द्वारा खंड 28 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 35 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 28 विधेयक का अंग बने।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

<u>खंड 28 विधेयक में जोड़ दिया गया।</u>

खंड 29

माननीय अध्यक्ष: श्री असादुद्दीन ओवैसी जी, क्या आप संशोधन संख्या 69 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Sir, I beg to move:

Page 12, *omit* lines 8 and 9. (69)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री असादुद्दीन ओवैसी जी द्वारा खंड 29 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 69 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

<u>संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।</u>

माननीय अध्यक्ष: श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 94 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move:

Page 12, line 5,-

for "is a member of"

substitute "the competent court found guilty that he is a member of". (94)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा खंड 29 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 94 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

<u>संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।</u>

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 29 विधेयक का अंग बने।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

<u>खंड 29 विधेयक में जोड़ दिया गया।</u>

<u>खंड 30 से 34 विधेयक में जोड़ दिए गए।</u>

खंड 35

माननीय अध्यक्ष: श्री इमरान मसूद जी, क्या आप संशोधन संख्या 36 से 38 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

श्री इमरान मसूद (सहारनपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 16, पंक्ति 5 से 27 का *लोप करें।* (36)

पृष्ठ 16, पंक्ति 33 से 35 का *लोप करें।* (37)

पृष्ठ 17, पंक्ति 1 से 3 का *लोप करें।* (38)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री इमरान मसूद जी द्वारा खंड 35 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 36 से 38 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष: श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 95 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move:

Page 13, line 7,-

for "person"

substitute "advocate having not less than seven years of practice and". (95)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा खंड 35 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 95 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 35 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 35 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 37 से 40 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 40ए

माननीय अध्यक्ष: श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर जी, क्या आप संशोधन संख्या 128 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI E. T. MOHAMMED BASHEER (MALAPPURAM): Sir, I beg to move:

Page 14, *for* lines 13 to 18,-

substitute “**40A**. Nothing contained in the Limitation Act, 1963 shall apply to any suit for possession of immovable property comprised in any waqf for possession of any interest in such property.”. (128)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर जी द्वारा खंड 40ए में प्रस्तुत संशोधन संख्या 128 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि खंड 40ए विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 40ए विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 41 विधेयक में जोड़ दिया गया।

(0140-0150/RAJ/PS)

खंड 42

माननीय अध्यक्ष: श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 129 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move:

Page 14 line 22,-

after “Central Government may,”

insert “in consultation with the State Government,”. (129)

माननीय अध्यक्ष: अब श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा खंड 42 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 129 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि खंड 42 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 42 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 43 और 44 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS; AND MINISTER OF MINORITY AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): Sir, I beg to move:

"That the Bill, as amended, be passed."

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए।"

… (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य: हां।

कुछ माननीय सदस्य: नहीं। … (व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : महोदय, हम डिवीजन चाहते हैं।

माननीय अध्यक्ष: लॉबी क्लियर है। आप आराम से समझा लीजिए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ :

… (व्यवधान)

(0155/SK/SMN)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, शुद्धि के अध्यधीन, मत-विभाजन का परिणाम यह है:

हां : 288

नहीं : 232

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: लॉबी खोल दी गई है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब आइटम 13 सभा के निर्णय के लिए ले रहे हैं।

प्रश्न यह है:

"कि मुसलमान वक्फ अधिनियम, 1923 का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आप संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत कीजिए?

Amendment made:

Page 1, line 3, -

for "2024"

substitute "2025" (2)

(Shri Kiren Rijiju)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आप संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत कीजिए।

Amendment made:

Page 1, line 1, -

for "Seventy-fifth"

substitute "Seventy-sixth". (1)

(Shri Kiren Rijiju)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि अधिनियमन सूत्र, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

माननीय अध्यक्ष: मंत्री जी, अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को यथा संशोधित पारित किया जाए।

SHRI KIREN RIJIJU : Sir, I beg to move:

"That the Bill, as amended, be passed."

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।